उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ , भारत का सविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 7 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और यह दिनांक 9 मार्च, 2007 को उत्तर प्रदेश गज़ट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 का निरसन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) धिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 11 सन् 2004 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आस्तियां और दायित्वों का अन्तरण

3-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक को और उसी दिनांक से

(क) किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय के चारों ओर की भूमि और प्रादेशिक हाईजीन संस्थान का भवन और जो विकित्सा संकाय का भाग है तथा किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसे आगे पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय कहा गया है) से सम्बन्धित समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां , जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, छात्रावास, फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर्स, संयंत्र, मशीन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और वाहन भी है , पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है , को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी:

(ख) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां , चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो, जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा धृत या उसके लेखे में कोई नकद धनराशि भी है , चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो , पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ग) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार , शक्तियों और विशेषाधिकार, ऋण, कर्तव्य, दायित्व और आभार , जो पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हो, विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे:

(घ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में , चाहे उसे पारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक के पूर्व तैयार या निष्पादित किया

गया हो, जिसमें दन्त विज्ञान संकाय के प्रयोजन के लिये पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत , दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो , समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा मानो पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम लिखा गया हो ।

(ङ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय , विश्वविद्यालय का दन्त विज्ञान संकाय हो जायेगा,

(च) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का कोई छात्र, जो निरसन के दिनांक के ठीक पूर्व पूर्ववती विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा था, नये विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अनुज्ञात होगा और नये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेगा:

(छ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी , जो पूर्ववती विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से नियुक्त हो और निरसन के दिनांक के ठीक पूर्व उसमें सेवारत हो , विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायेगा,

(ज) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सस्थित और निरसन के दिनांक को लम्बित सभी वाद , अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त हो जायेंगी।

व्यावृति

4-धारा 2 के अधीन निरसन के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम , 2002 के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों निरसन अधिनियम का अधिनियमन नहीं हुआ हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2007 का निरसन

5-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2004) द्वारा उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में उसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक उत्कृष्ट दन्त विज्ञान संस्था के रूप में विकसित करने के उद्देधश्य से की गई थी जिससे कि दन्त रोगों से पीड़ित रोगियों के समुचित उपचार की व्यवस्था की जा सके। उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि जिन उद्देसश्यों की पूर्ति हेतु दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे उद्देोश्यों की पूर्ति दन्त विज्ञान संकाय को चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में ही बनाये रखकर की जा सकती है। अतएव , यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय और विश्वविद्यालय को, उसकी आस्तियों एवं दायित्वों और उसके कर्मचारियों आदि सहित, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को उसके दन्त विज्ञान संकाय के रूप में अन्तरित कर दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डत सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था , अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अध्यादेश , 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।